जनपद बाराबंकी

दिनांक- 09.07.2025

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1,00,500-1,00,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए "Operation Conviction" कार्य योजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना हैदरगढ़ पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 236/2016 धारा 302/34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.केशवराम यादव पुत्र शीतलादीन, 2.सोनू यादव पुत्र केशवराम यादव निवासीगण करौधिया मजरे नैपुरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,00,500- 1,00,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व उपरोक्त अभियुक्तगणों को धारा 323/427/506/297 भादवि में दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.08.2016 को थाना हैदरगढ़ पर वादी रामनेवाज यादव पुत्र गुरूदयाल निवासी करौधिया मजरे नैपुरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगण 1.केशवराम यादव पुत्र शीतलादीन, 2.सोनू यादव पुत्र केशवराम यादव निवासीगण करौधिया मजरे नैपुरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के विरूद्ध स्वयं के पुत्र की बाजार में दिनदहाड़े कुल्हाडी व हथौडी से मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। उक्त सूचना के आधार थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0 236/2016 धारा 302/34/323/427/506/297 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1- श्री अरविन्द राजपूत अभियोजक अधिकारी ई0सी0 एक्ट कोर्ट जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-का0 आदर्श कुमार मिश्रा, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6- का0 नीरज कुमार पैरोकार थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी
7-कोर्ट मो0 म0का0 रिंका ई0सी0 एक्ट कोर्ट जनपद बाराबंकी